

फर्द अहकाम

बनाम

प्र

क्रमांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
२३/३५	<p>पत्तावली पेश हुई वमील वादीअन वमील वादी के परिवारीजन की तामील करने हेतु डाकमध्यस्थ/ न्यायालय की तम्य पर नहीं दिया अतः आदेश १ नियम २ के तहत १५। आदेश दिया जाता है। पत्तावली १५ तामील तामिल इफ्तार है।</p> <p style="text-align: center;">(३) सपखण्ड अधिकारी चाकसू (जयपुर)</p>	